न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेशकुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 191/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/314

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार कल्याणपुर		खेताराम पुत्र भागचन्द वगैरा जाति विश्नोई निवासी परालिया धामट तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.प्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित।

2.विप्रार्थी अनुपस्थित।

:आदेश:

दिनांक 02.8.2024

यतः तहसीलदार कल्याणपुर ने ग्राम परालिया धामट तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 110,111,190,187,179,181,182,188 व 327/175 भूमि में से प्रस्तावित रकबा वर्षो से मौके पर चलायमान रास्तें को भू अभिलेख में सार्वजनिक रास्ता अंकित करने का निवेदन किया गया।

अतः राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60 एवं 86 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एवं राजस्व सरकार की अधिसूचना क्रमांकः राजस्व(गुप्र–6)/विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक–प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.5.2016 तथा परिपत्र क्रमांक:प.3(17)राज–06/03 पार्ट जयपुर दिनांक 24.12.2014 एवं परिपत्र क्रमांक:प.3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 की अनुपालना में अधोलिखित खसरान के खातेदार की सहमति/असहमति के आधार पर निम्नानुसार आदेश दिए जाते हैः–

1.ग्राम परालिया धामट पटवार मण्डल मूलकी ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 110 के खातेदार नगाराम पुत्र भागचन्द,खसरा संख्या 111 के खातेदार रामलाल पुत्र वरीगाराम,खसरा संख्या 190 के खातेदार धनाराम,मोहनलाल,राधादेवी,लिखमाराम,सोहनलाल व हीरादेवी पत्नी जोधाराम,खसरा संख्या 187 के खातेदार किरणदेवी,किशनाराम,धेवरराम,नैनाराम व वरजूदेवी पत्नी जोराराम,खसरा संख्या 179 के खातेदार नगाराम पुत्र भागचन्द व खसरा संख्या 181,182 व 188 के खातेदार रामचन्द्र पुत्र गोरखाराम,वरजू पत्नी वरी[illegible]सरा संख्या 327/175 के खातेदार [illegible]त्र मोहनराम द्वारा संलग्न नक्शानुसार [illegible] आ रही भूमि को [illegible]जहित में समर्पण करने की [illegible] (गुप्र–6)विभाग के परिपत्र क्रमांक:प. 3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 [illegible] संख्या 4(1)में विहित प्रा[illegible] अनुसरण में सारणी के ख भाग के कॉलम संख्या (07) में अंकित रकबा की भूमि खातेदारी आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:11:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

में से कम करते हुए सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता घोषित करते हुए तदनुसार भू–अभिलेख में इन्द्राज एवं तरमीम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है:–

2. ग्राम परालिया धामट पटवार मण्डल मूलकी ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 110 के खातेदार खेताराम पुत्र भागचन्द,खसरा संख्या 111 के खातेदार छोगाराम,बंशीलाल,खसरा संख्या 190 के खातेदार जगदीशकुमार,मनोहरलाल,राजेन्द्र,विनीता,विनोदकुमार,सजनोदेवी पत्नी गोपाराम व खसरा संख्या 187 के खातेदार अणची,अर्जुनराम,भागीरथराम,राजेन्द्रकुमार,रामनिवास व खसरा संख्या 179 के खातेदार खेताराम पुत्र भागचन्द द्वारा राजहित में समर्पण करने से मना किए जाने के कारण राजस्व(ग्रुप–6)विभाग के परिपत्र क्रमांक:प.3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के बिन्दु संख्या 4(2)में विहित प्रावधान के अनुसरण में संलग्न नक्शानुसार रास्ते में काम आ रही भूमि को सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं कॉलम संख्या 07 में वर्णित रकबा खातेदारी में ही दर्ज रखने के आदेश प्रदान किए जाते है:–

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि (क)				नवीन रास्ते हुए दर्ज प्रविष्टि (ख)				वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.स.	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट.)	किस्म भूमि	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट.)	किस्म भूमि	बरंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	37	110	4.2006	बा.दो.	110	0.0162	गै.मु. रास्ता	लाल
2	137	111	1.3840	बा.दो.	111	0.0809	गै.मु. रास्ता	लाल
3	146	190	4.0954	बा.दो.	190	0.0485	गै.मु. रास्ता	लाल
4	30	187	4.1035	बा.दो.	187	0.0647	गै.मु. रास्ता	लाल
5	37	179	0.7689	बा.दो.	179	0.0168	गै.मु. रास्ता	लाल
6	126	181 182 188	1.9587 1.6268 2.2986	बा.दो. बा.दो. बा.दो.	181 182 188	0.0728 0.0162 0.0971	गै.मु. रास्ता	लाल
7	181	327/175	5.1476	बा.दो.	327/175	0.0089	गै.मु. रास्ता	लाल

तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें एवं रिकॉर्ड की प्रति सहित पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *)

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:11:21 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 02.8.2024 को लिखा जाकर खुले–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा